न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2020 – रेफरेन्स

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हुरडा	बनाम	लादू पिता प्रताप गुर्जर मृतक कायम मुकाम के बजाय 1. शिवराज पिता गोदू ना.बा.ब.बि. माता रंगुदेवी पत्नी लादू 2. रंगुदेवी पत्नी गोदू गुर्जर निवासी दांतड़ा तहसील हुरडा –(विपक्षीगण)
–(प्रार्थी)		

कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 05-8-.2020

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./275/2007/भीलवाडा सरकार बनाम लादू निर्णय दिनांक 01.11.2019 में अंकन किया गया कि प्रस्तुत रेफरेन्स में जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के समय वादग्रस्त भूमि किसकी खुदकाश्त में थी ? मंदिर की अथवा निजी ? प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि भू प्रबन्ध विभाग ने जिस आदेश से निजी खातेदारी प्रदान की हैं को राजस्व रिकार्ड अभिलेख पर लेकर यदि प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स योग्य पाया जावे तो पुनः मण्डल में प्रेषित किया जावे।

न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 01.11.2019 के निर्देशानुसार तहसीलदार हुरडा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार –

1. ग्राम दांतडा तहसील हुरडा के साबिक आराजी नम्बर 522/2 रकबा 11.16 बीघा किस्म भूरेबी जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 के खाता संख्या 341/12 अनुसार श्री

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

महादेव जी स्थान देह शंभू रावल गुरू दाउ रावल सा. देह पुजारी के नाम दर्ज होकर प्रताप पिता धूला गुर्जर सा. देह के नाम दर्ज थी।

2. ग्राम दांतड़ा का नवीन भू प्रबन्ध संवत् 2028 मे हुआ। जिसमें साबिक आराजी नं. 522/2 के नवीन आराजी संख्या 2075 रकबा 12.12 बीघा बनाया गया।
3. हाल आराजी नम्बर 2075 रकबा 12.12 बीघा को शंभू , लादू पिता प्रताप गुर्जर सा. देह के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गयी।
4. ग्राम दांतडा के आराजी नम्बर 2075 का सहमति विभाजन होने से आराजी संख्या 2075/1 रकबा 6.06 बीघा शंभू पिता प्रताप गुर्जर एवं आराजी संख्या 2075/2 रकबा 6.06 बीघा लादू पिता प्रताप गुर्जर के नाम दर्ज की गयी।
5. आराजी संख्या 2075/1 रकबा 6.06 बीघा श्रवण भीया पिता भागीरथ लादू बेवा भागीरथ नारायण निम्बा गोपाल पिता शंभू उर्फ रामा मु. देउ बैवा शंभू उर्फ रामा गुर्जर एवं आराजी संख्या 2075/2 रकबा 6.06 बीघा शिवराज पिता गोदू व रंगू बेवा गोदू गुर्जर सा. देह के खातेदारी में स्थित हैं।

अतः रेफरेन्स प्रतिवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम दांतडा के आराजी संख्या /2 जिसके हाल आराजी संख्या 2075 रकबा 12.12 बीघा को पुनः श्री महादेव जी न देह वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जावे व अप्रार्थीगण का नाम राजस्व र्ड से हटाया जाये।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल. /275/2007/भीलवाडा सरकार बनाम लादू वगैरह निर्णय दिनांक 01.11.2019 स प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 10.01.2020 को पंजीबद्ध किया गया तथा गण को वज़ह जाहिर कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में बहस सुनी

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम दांतडा तहसील हुरडा के साबिक आराजी नम्बर 2 के हाल आराजी नं. 2075 रकबा 12.12 बीघा जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 के संख्या 341/12 अनुसार श्री महादेव जी स्थान देह शंभू रावल गुरू दाउ रावल सा. जारी के नाम दर्ज होकर प्रताप पिता धूला गुर्जर सा. देह के नाम दर्ज थी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19 एवं 46 के अंतर्गत

मंदिर मूर्ति को नियमों में अवयस्क माना गया और इस प्रकार अवयस्क के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। भू–प्रबन्ध विभाग ने अपने कार्यकाल में विवादित आराजी भू–भाग बिना किसी आधार के विपक्षीगण के खाते में अभिलिखित कर नियमों का उल्लंघन किया है और भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया इंद्राज पूर्णतया नियमों के विरूद्ध है। प्रकरण में उपलब्ध भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किया गया खसरा पत्रक से सिद्ध है कि ऊपर वर्णित गत आराजी खसरा नंबरान के नवीन आराजी खसरा नंबर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के चरण संख्या 2 में अंकित किए गए है। तदनुसार नवीन खसरा नंबर व क्षेत्रफल कायम हुआ है। इस प्रकार प्रकरण में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों से यह तथ्य सिद्ध है कि मंदिर मूर्ति की भूमि को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी आधार के विपक्षीगण निजी व्यक्तियों के खाते में अभिलिखित किया गया है। उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग श्री महादेव जी स्थान देह के नाम दर्ज रिकार्ड था। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतःएव –

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, हुरड़ा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र रा.भू.रा. अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रतिवेदन स्वीकार करते हुये ग्राम दातंड़ा तहसील हुरड़ा में अंकित साबिक खसरा नंबर 522/2 रकबा 11.16 बीघा के नवीन आराजी खसरा नंबर 2075 रकबा 12.12 बीघा जो मंदिर मूर्ति श्री महादेवजी स्थानदेह के खाते की होकर नवीन बंदोबस्त के दौरान विपक्षीगण के खाते में अभिलिखित है, जो नियमों के विपरीत है। अतः हाल आराजी नंबर 2075 रकबा 12.12 बीघा भूमि विपक्षीगण के खाते से कम किया जाकर महादेवजी स्थानदेह के नाम अभिलिखित कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 05-08-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा